रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072025-264925 CG-DL-E-24072025-264925

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3303]	नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 23, 2025/श्रावण 1, 1947
No. 3303]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 23, 2025/SHRAVANA 1, 1947

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2025

का.आ. 3376 (अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम,1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुरूपी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामत:-

#### सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड	चैनेज
संख्या		
(1)	(2)	(3)
रारा-275के	कर्नाटक राज्य में हिंकल गाँव के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-275 के साथ अपने जंक्शन	
	से प्रारंभ होकर कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-275/राष्ट्रीय	राष्ट्रीय राजमार्ग
	राजमार्ग-150ए, एपीएमसी बांदीपाल्या के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-766/राष्ट्रीय	
	राजमार्ग-150ए को जोड़ने वाला, मैसूर शहर के आसपास हिंकल गाँव के समीप	
	राष्ट्रीय राजमार्ग-275 के साथ अपने प्रारंभिक जंक्शन पर समाप्त होने वाला	
	राजमार्ग।	
	(मैसूर रिंग रोड)	

[फा.सं. एनएच-14013/8/2025-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

4921 GI/2025 (1)

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2025

**S.O.** 3376(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

Table

National Highways No.	Section of National Highways	Chainage
(1)	(2)	(3)
NH-275K	The highway starting from its junction with NH-275 near Hinkal village connecting NH-275/ NH- 150A near Columbia Asia Hospital, NH-766/ NH-150A near APMC Bandipalya and terminating at its originating junction with NH-275 near Hinkal Village around Mysore city in the state of Karnataka.  (Mysore Ring Road)	Entire NH in State of Karnataka

[F. No. NH-14013/8/2025-P&M] SHAIKH AMINKHAN, Director

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2025

का.आ. 3377 (अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 1096 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में एतदद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 11 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातु:-

तालिका (2) (3) (1)"11 राष्ट्रीय राजमार्ग सं .4 [िकमी 0.0 से किमी 592.0 (बंगलौर से कर्नाटकमहाराष्ट्र सीमा/) और कर्नाटक किमी 216.318 से किमी 914. 000(बंगलौरतक खंड को (आंध्र प्रदेश सीमा/कर्नाटक-हौसकोटे-राज्य सरकार।" छोड़करो. राष्ट्रीय राजमार्ग सं .4ए. किमी 9.500 से किमी 84.120 (बेलगामकर्नाटक /गोवा-सीमा) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं .9 [िकमी 348.800 से किमी 423.800 (महाराष्ट्रकर्नाटक सीमा/) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं .13 [30 किमी).340 से किमी 418.750 (शोलापुरहौजपेट चित्रदुर्ग खंड-हंगुंड-बीजापुर-) और किमी 743. से किमी 900 745. 000(मरोली जंक्शन से नंथूर जंक्शन698 और किमी (.743 से किमी 850. 900(सन्तुर जंक्शन से बिकरनाकट्टे खंडतक खंड को छोड़कर (], राष्ट्रीय राजमार्ग सं .17 [3 किमी).700 से किमी 17.93 और किमी 200.376 से किमी 700.700 (गोवा कर्नाटक सीमा/– कुंदरपुर – सूरतखल – नंथूर – मंगलौर – कर्नाटककेरल सीमा/) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं . 42, राष्ट्रीय राजमार्ग सं .48 [28 किमी).200 से किमी 237.000 (राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ 48 263 और किमी (पर नीलमंगला जंक्शन से देवीहल्ली से मारनहल्ली 4 राष्ट्रीय राजमार्ग.से 000

345 किमी.तक खंड को छोड़कर 000](अड़ाहोल से गुंडया से बंतवाल क्रास खंड) , राष्ट्रीय राजमार्ग सं .63 किमी 129.267 से किमी 249. 00(हबली तक खंड को छोड़कर (होसपेट खंड -280 और किमी.300 से किमी 375.740 (हौजपेट – बेल्लारी – कर्नाटकआंध्र प्रदेश सीमा खंड/) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं .67, राष्ट्रीय राजमार्ग सं .206 किमी 0. से किमी 00 216. 50(तुमकुर तक खंड को छोड़कर (शिमोगा खंड –], राष्ट्रीय राजमार्ग सं .207 [िकमी) 16.80 से किमी 139.180 (बंगलौर हौजकोटे - तमिलनाडु सीमा/– दोबासपेट खंड) तक खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं .209 किमी 266.530 से किमी 461.तक को छोड़कर 550] (तमिलनाडकर्नाटक सीमा से बंगलौर खंड तक/) खंड को छोड़कर]. राष्टीय राजमार्ग सं .212 [136 किमी).239 से किमी 600.241 और किमी 600.268 से किमी 520. 475(केरल सीमा से कोल्लेगल खंडतक खंड को छोड़कर (], राष्ट्रीय राजमार्ग सं .218 िकमी 195. से किमी 000 418. 000(बीजापुर – गुलबर्गा तक खंड को छोड़कर (होमनाबाद खंड -], राष्ट्रीय राजमार्ग सं . 234, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं .50 (होमनाबाद खंड-बीदर-कर्नाटक सीमा/आंध्र प्रदेश), नई रारा सं .67, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं .73 (पेरियाशांति - धर्मस्थला – उजिरे स्पर), नई रारा सं150 .. नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं .150विस्तार, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं .150ए [0 किमी). से किमी 00 50. 00(जेवारगी तक खंड को छोड़कर (शाहापयुर खंड –] और [254 किमी).80 से किमी 409.00 (बेल्लारी - हिरियुर खंड) तक खंड को छोड़कर], नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं .150सी, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं .160, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं .166ई, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं .167एन, नई रारा सं .167, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं .169ए, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं .173, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं . 275 [166 किमी).255 से किमी 602. 600(मैसर -मादाकेरी खंड और ([223 किमी).से 86 342 किमी.00 (बंगलौर – मैसूर खंड) तक खंड को छोड़कर], नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं .367, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं .369ई. नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं .373. नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं .544डीडी. नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं .544ई, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं .548बी, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं . 548एच, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं .561ए, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं .752के, नई रारा सं .766सी, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं .766ई और नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं .766ईई के उतने भाग जो कि कर्नाटक राज्य में अवस्थित हैं।

> [फा.सं. एनएच-14013/8/2025-पी ऐंड एम] शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ.- 3291(अ) - 3294(अ), तारीख 18 जुलाई, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था।

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd July, 2025

**S.O.** 3377(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 11 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

### Table

` /	(2)	(3)
	So much of National Highway No.4 [excluding from Km. 0.0 to Km. 592.0 (Bangalore to Karnataka /Maharashtra Border) and from Km. 216.914 to Km.318.000 (Bangalore HoskoteKarnataka/Andhra Pradesh Border)], National Highway No.4A [excluding from km.9.500 to km.84.120 (from BelgaumGoa/Karnataka Border)], National Highway No.9 [excluding from Km. 348.800 to Km. 423.800 (Maharastra/Karnataka Border), National Highway No.13 [excluding from Km. 30.340 to Km. 418.750 (Solapur-Bigapur-HungundHospet Chitradurga section) and from Km. 743.900 to Km. 745.000 (Maroli Junction to Nanthoor Junction) and from Km. 698.850 to Km. 743.900 (Sannur junction to Bikarnakatte Section)], National Highway No.17 [excluding from Km. 3700 to Km. 17.200 and Km. 93.700 to Km. 376.700 (Goa/Karnataka Border-KundarpurSurathkalNanthoor- Mangalor-Karnataka/Kerala Border)], National Highway No.42, National Highway No.48 [excluding from Km. 28.200 to Km. 237.000 (Nelamangala Junction on National Highway 4 with National Highway 48 to Devihalli to Maranhalli) and from 263.000 to Km 345.000](Addahole to Gundya to Bantwal Cross Section), National Highway No.63 [excluding from km 129.249 to km 267.00 (HubliHospet Section) and excluding from Km. 280.300 to Km. 375.740 (Hospet- BellaryKarnataka/Andhra Pradesh Border section)], National Highway No.67, National Highway No.200 [excluding from km 0.00 to km 216.50 (Tumkur- Simoga Section)] National Highway No.207 [excluding Km.16.80 to Km. 139.180 (Bangalore/Tamil Nadu Border-HoskoteDobbaspet Section)], National Highway No.209 [Excluding from Km 266.530 to Km 461.550] (Tamil Nadu/Karnataka Border to Bangalore Section), National Highway No.212 [excluding from km 136.600 to km 239.600 and from km 241.520 to 268.475 (Kerela Border to Kollegal Section)], National Highway No. 160, new National Highway No. 160,	State Government of Karnataka.
	and new National Highway No. 766EE, as are situated within the State of Karnataka.	

[F. No. NH-14013/8/2025-P&M] SHAIKH AMINKHAN, Director

**Note:** -The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the  $4^{th}$  August, 2005 and was last amended vide number S.O. 3291(E) - 3294(E), dated the  $18^{th}$  July, 2025.